न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीनिधि बी टी, आई.ए.एस., जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा नम्बर :– 32/2018 जीसीएमएस न0 2018/00111

उनवानी प्रकरण :–

प्रेमसिंह पुत्र दीवान सिंह व रामवती जाति गुर्जर निवासी बरेंड हाल निवासी बैनपुरा खालसा तहसील बाडी जिला धौलपुर ---------------------अपीलान्ट

बनाम्

1–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाडी जिला धौलपुर
2–मेघसिंह पुत्र सोनपाल जाति गुर्जर निवासी बैनपुरा खालसा तहसील बाडी जिला धौलपुर
3–बनेसिंह । पुत्रगण चंदनसिंह जातिगण गुर्जर
4–रामबरन । निवासीगण ग्राम कंचनपुर हाल आवाद बैनपुरा खालसा
5–रामवीर । तहसील बाडी जिला धौलपुर
-------------रेस्पोडेण्टस्

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

अपील विरूद्व नामान्तकरण संख्या 61 दिनांक 14.11.1972 ग्राम बैनपुरा खालसा तहसीलदार बाडी

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से :– श्री रामअवतार गौड अभिभाषक
2. रेस्पोडेण्ट नम्बर 1 की ओर से :– पैरोकार सरकार
3. रेस्पोडेण्ट नम्बर 2 की ओर से :– श्री योगेश कुमार शर्मा अभिभाषक
4. रेस्पोडेण्ट नम्बर 3 लगा05 की ओर से :– निशान्त भार्गव एडवोकेट

निर्णय **दिनांक 30.12.2024**

उक्त अपील प्रकरण माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर के निर्णय दिनांक 28.12.2017 के साथ इस निर्देश के साथ प्राप्त हुआ है कि **"रेस्पो0 संख्या–3 लगा0 5 द्वारा प्रस्तुत अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर का निर्णय दिनांक 08.10.2014 निरस्त किया जाता है तथा**

जिला कलक्टर धौलपुर

प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि आवश्यक पक्षकार को पक्षकार बनाकर तथा सुनवाई का अवसर देकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें"

उक्त अपील दर्ज रजिस्टर जाकर पक्षकारों को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अपीलान्ट की ओर से श्री रामअवतार गौड एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से श्री योगेश कुमार शर्मा एडवोकेट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगा0 5 की ओर से श्री निशान्त भार्गव एडवोकेट उपस्थित हुये।

अपीलान्ट द्वारा यह अपील तहसीलदार बाडी के आदेश दिनांक 14.11.1972 से असन्तुष्ट होकर पेश की है जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि नामान्तकरण संख्या 61 दिनांक 14.11.1972 वाके ग्राम बैनपुरा खालसा तहसील बाडी में स्थित आराजी खसरा नम्बर 362/783 का नामान्तकरण रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ने रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से साजकर अवैध रूप से अपने नाम करा लिया है जबकि तहत नामान्तकरण मेघसिहं पुत्र सोनपाल के नाम से किया गया है जो विधि विरूद्ध है क्योंकि सोनपाल के दो लडके भूपसिहं व मानसिहं थे सोनपाल के मेघसिहं नाम का कोई व्यक्ति नहीं है और ना ही मेघ सिहं के नाम से कोई आवंटन ही हुआ है। अपीलान्ट ने राजस्व रिकोर्ड का पता किया तो आवंटन मेघसिहं के नाम से नहीं है बल्कि आवंटन लिखकर उक्त नामान्तकरण मेघसिहं पुत्र सोनपाल के नाम से किया गया है वह गलत है जो निरस्त किये जाने योग्य है । नामान्तकरण आदेश दिनांक 14.11.1972 व खिलाफ कायदे कानून वरूयेदाद मिसिल के है । उक्त नामान्तकरण राज्य सरकार की जमीन को हडपने की नीयत से राज्य सरकार को धोखा देकर एवं असलियत को छुपाकर साजिशन कराया है जो काबिल खारिजी है । अपीलान्ट की उक्त आराजी से लगी हुई जमीन है जिसका वह खातेदार काश्तकार है उक्त जमीन खलियान के काम आती है किसी का कब्जा नहीं है फिर भी अधीनस्थ अधिकारी ने बिना जॉच पडताल किये तहत नामान्तकरण आदेश पारित किया है । रेस्पोडेण्टस् संख्या 2 ने विवादित आराजी का नामान्तकरण अपने नाम अवैध रूप से करवा लिया है जो राज्य सरकार की कीमती जमीन को हडपने की नीयत से साजिशन की गई है जो विधि विरूद्ध है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 14.11.1972 निरस्त किया जावे ।

रेस्पोडेण्ट नम्बर 2 के अभिभाषक ने जबाव पेश किया जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि उत्तरदाता धूपसिहं का उप नाम मेघसिहं है तथा गॉव में उत्तरदाता को धूपसिहं व मेघसिहं दोनों नामों से पुकारा जाता है तथा अप्रार्थी नम्बर 2 के पक्ष में आवंटन दिनांक 28.6.1971 को धूपसिहं पुत्र सोनपाल के नाम से किया गया था

जिला कलक्टर
धौलपुर

तथा राजस्व कर्मचारियों ने उत्तरदाता के मेघसिहं नाम से आवंटन भूमि का नामान्तकरण संख्या 61 दिनांक 14.11.1972 वाके ग्राम बैनपुरा खालसा तस्दीक किया था जिसमें उत्तरदाता की कोई गफलत व लापरवाही नहीं है मेघसिहं धूपसिहं एक ही व्यक्ति है लिहाजा अपील अपीलान्ट असत्य एवं बेवुनियाद तथ्यों पर अवधि बाहर प्रस्तुत है तथा काबिल खारिजी है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

अपीलान्ट ने अपनी अपील के सम्बन्ध में नामान्तकरण संख्या 61 वाके ग्राम बैनपुरा खालसा तहसील बाडी की प्रतिलिपि, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2049 से 2052 ग्राम बैनपुरा खालसा, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2053 से 2056 की प्रतिलिपि, नकल नामान्तकरण संख्या 494 वाके ग्राम बैनपुरा नकल नामान्तकरण संख्या 551 वाके ग्राम बैनपुरा खालसा नकल जमाबन्दी सम्वत् 2057 से 2060 वाके ग्राम बैनपुरा खालसा एवं नकल प्रार्थना पत्र दिनांक 13.11.2013 जो न्यायालय भू. प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर में पेश किया की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की ।

रेस्पोडेण्ट नम्बर 3 लगा0 5 की ओर से प्रमाणित प्रति अपील मीमो उनवानी अमरसिंह बनाम आवंटन कमेटी न्यायालय भू. प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर, प्रमाणित प्रति समस्त आदेशिका अपील क्रमांक 8/12 उनवानी अमरसिंह बनाम आवंटन कमेटी न्यायालय भू. प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर, प्रमाणित प्रति वयनामा दिनांक 30.04. 2012 जण्डेलसिंह वहक बनेसिंह वगैरा, नकल वयनामा दिनांक 30.03.1999 मेधसिंह वहक जण्डेलसिंह, नकल विधानसभा क्षेत्र बाडी ग्राम वर्रेड भाग संख्या 185, फोटोप्रति निर्वाचक नामावली 2023, फोटोप्रति आधार कार्ड, फोटोप्रति जनआधार कार्ड, नकल नामान्तकरण संख्या 566 ग्राम बैनपुरा पेश किये हैं।

उभयपक्षों के विद्धान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई । अपीलान्ट के विद्धान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि नामान्तकरण संख्या 61 वाके ग्राम बैनपुरा खालसा तहसील बाडी में स्थित आराजी खसरा नम्बर 362/783 का नामान्तकरण रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ने रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से साजकर अवैध रूप से अपने नाम करा लिया है जबकि नामान्तकरण मेघसिहं पुत्र सोनपाल के नाम से किया गया है जो विधि विरूद्ध है क्योंकि सोनपाल के दो लडके धूपसिहं व मानसिहं थे सोनपाल के मेघसिहं नाम का कोई पुत्र नहीं है ना ही मेघसिहं नाम का कोई व्यक्ति ग्राम बैनपुरा खालसा में है । और ना ही मेघ सिहं के नाम से कोई आवंटन ही हुआ है। नामान्तकरण मेघसिहं पुत्र सोनपाल के नाम से किया गया है वह गलत है जो निरस्त किये जाने योग्य है । उक्त नामान्तकरण प्रारम्भ से ही शून्य है जिसे किसी भी पक्षकार द्वारा सीधे ही चुनौती दी जा सकती है। तहसीलदार बाडी की रिपोर्ट दिनांक 20.05.2014 एवं 18.

जिला कलक्टर
धौलपुर

01.2019 में स्पष्ट अंकित किया है कि अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 61 दिनांक 14.11.1972 को नामान्तकरण मेघसिंह पुत्र सौनपाल के नाम दर्ज किया है जबकि मेघसिह नाम का कोई व्यक्ति बैनपुरा खालसा में नहीं है और आवंटन भूपसिंह पुत्र सौनपाल के नाम हुआ है। भूपसिंह नाम का कोई व्यक्ति भी ग्राम बैनपुरा खलसा में नहीं है। रैस्पोडेन्ट संख्या 3 लगा05 द्वारा आज दिनांक तक कोई आवंटन मेघसिंह या धूपसिंह के नाम का प्रस्तुत नहीं किया है यानी अपीलाधीन नामान्तकरण बिना किसी आदेश के हुआ है। मियाद का बिन्दू रेस्पो0 संख्या 3 लगा05 द्वारा उठाया है उसे आज नहीं उठाया जा सकता है क्योंकि न्यायालय श्रीमान द्वारा प्रस्तुत अपील को पहले म्याद में मान किया है और अपीलीय न्यायालय द्वारा भी मियाद के बिन्दू को यथावत रखा हैं। धारा 96 सी.पी.सी. का बिन्दू भी आज नहीं उठाया जा सकता है पूर्व में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जा चुकी है और न्यायालय श्रीमान संभागीय आयुक्त द्वारा भी अपील को मेरिट पर गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु भेजी है। उन्होने अपने तर्को के समर्थन में आर.बी.जे. 2016 पेज 547, आर.आर.डी. 1978 पेज 446, आर.आर.टी. 2005(1) पेज 646, आर.आर.डी. 1989 पेज 45, आर.बी.जे. 2016 पेज 547 के न्यायिक दृष्टान्त पेश कर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 14.11.1972 बावत स्वीकृत करने नामान्तकरण संख्या 61 निरस्त किया जावे ।

रेस्पोडेण्ट नम्बर 2 ने बहस में भाग नहीं लिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगा05 नें अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अप्रार्थी नम्बर 2 धूपसिहं का उप नाम मेघसिहं है तथा गॉव में अप्रार्थी नम्बर 2 को धूपसिहं व मेघसिहं दोनों नामों से पुकारा जाता है तथा अप्रार्थी नम्बर 2 के पक्ष में आवंटन दिनांक 28.6.1971 को धूपसिहं पुत्र सोनपाल के नाम से किया गया था तथा राजस्व कर्मचारियों ने मेघसिहं नाम से आवंटन भूमि का नामान्तकरण संख्या 61 वाके ग्राम बैनपुरा खालसा तस्दीक किया था जिसमें अप्रार्थी की कोई गफलत व लापरवाही नहीं है मेघसिहं धूपसिहं एक ही व्यक्ति है। इस प्रकरण में सर्वप्रथम विचारणीय बिन्दु यह है कि अपीलार्थी को उपरोक्त अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार है या नहीं क्योंकि वह किस प्रकार से उपरोक्त नामान्तकरण आदेश से व्यथित है यह उसके द्वारा कहीं भी स्पष्ट नही किया गया है जब तक कोई व्यक्ति किसी आदेश से व्यथित नहीं हो तथा ना ही वह आदेश उसके हकों पर कोई विपरीत प्रभाव डालता हो अर्थात उसके कोई लीगल राइट व टाईटल अपीलाधीन आधीन आदेश से प्रभावित होते हों तो वह अपील प्रस्तुत करने का अधिकारी होता है। यहॉ अपीलार्थी के कोई भी लीगल राइट व स्वामित्व विवादित आराजीयात में नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि वह किसी ऐसे आदेश जिसमें उसके हित प्रभावित हो रहे है और वह पक्षकार नहीं है उसकी अपील प्रस्तुत करता है तो उसे न्यायालय से धारा 96 जा.दी. के तहत अनुमति अपील प्रस्तुत करने हेतु लेनी होती है। यहा अपीलार्थी द्वारा न तो कोई अनुमति के लिए प्रार्थना पत्र धारा 96

जिला कलक्टर
धौलपुर

जा.दी. प्रस्तुत किया गया है तथा ना हीं न्यायालय से अनुमति ली गयी है जिस कारण बिना प्रार्थना पत्र के उपरोक्त शीर्षक अपील पोषणीय नहीं है तथा उपरोक्त शीर्षक अपील अपीलार्थी को कोई *Locus standi* नहीं होने के कारण भी पोषणीय नहीं है। अपीलार्थी ने उपरोक्त शीर्षक अपील सन् 1972 के आदेश के विरूद्व वर्ष 2013 में प्रस्तुत की है जो कि करीब 41 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गयी है जबकि धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत अपील पेश करने की म्याद 30 दिवस है। इन 40 वर्षो से अधिक समय पश्चात उपरोक्त शीर्षक अपील अपीलार्थी द्वारा क्यों प्रस्तुत की गयी तथा अपीलाधीन आदेश के विरूद्व उसके द्वारा इन 40 वर्षों में कोई कार्यवाही क्यों नही की गयी इसका कोई यथोचित कारण अपीलार्थी द्वारा नहीं बताया गया है। जब तक कोई स्पष्ट व प्रभावी कारण नहीं हों तो 40 वर्ष से अधिक विलम्ब को क्षमा नहीं किया जा सकता। उपरोक्त शीर्षक अपील नामान्तकरण के विरूद्व प्रस्तुत की गई है और उपरोक्त नामान्तकरण आवंटन के आधार पर खोला गया है। जब तक उपरोक्त आवंटन किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया जाता तब तक उपरोक्त आवंटन के आधार पर खोले गये नामान्तकरण को निरस्त नहीं किया जा सकता। उपरोक्त आवंटन को पूर्व में न्यायालय श्रीमान भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, धौलपुर के समक्ष अपील के माध्यम से चुनौती दी गयी थी। उपरोक्त अपील दिनांक 15.09.2015 को खारिज फरमा दी गयी तथा अपीलार्थी द्वारा यह भी कथन है कि उपरोक्त नामान्तकरण आदेश वॉयड आदेश है क्योंकि जो आवंटन हुआ वह किसी अन्य व्यक्ति को हुआ एवं दाखिला खारिज किसी अन्य व्यक्ति मेघ सिंह के नाम दर्ज किया गया जिस व्यक्ति के नाम नामान्तकरण खोला गया उस व्यक्ति को कभी कोई आवंटन हीं नही हुआ। रेस्पोडेण्ट ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जा.दी. के साथ सरपंच के द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि मेघ सिंह व भूप सिंह एक ही व्यक्ति है। जहां तक वॉयड आदेश का सवाल है तो आवंटन आदेश के आधार पर नामान्तकरण का अधिकार तहसीलदार को ही है जिसके आधार पर ही तहसीलदार द्वारा मेघ सिंह के हक में नामान्तकरण के पश्चात उसके द्वारा दिनांक 30.03.1999 को नामान्तकरण में अंकित विवादित आराजीयात का वयनामा जण्डैल सिंह पुत्र सूबे के हक में कर दिया गया तथा बयनामा के पश्चात राजस्व अभिलेखों में जरिये नामान्तकरण संख्या 566 जण्डैल सिंह का नाम अंकित हो गया जण्डैल से दिनांक 30.04.2012 को उपरोक्त विवादित आराजीयात का बयनामा बनै सिंह, रामवरन व रामवीर के हक में कर दिया। यह कि इस प्रकार विक्रय पत्रों के वजूद में रहते हुए भी नामान्तकरण निरस्त नहीं किया जा सकता। उन्होने अपने तर्कों के समर्थन में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम धारा 75 की उपधारा 2, आरआरटी 2021(1) पेज नम्बर 19 सुप्रीम कोर्ट, आरआरडी 1981 पेज नम्बर 143, आरआरडी 1994 पेज नम्बर 387, आरआरटी 2024(1) पेज नम्बर 693, डीएनजे 2018(2)(सुप्रीम कोर्ट) पेज नम्बर

जिला कलक्टर
धौलपुर

475, डीएनजे 2018(3)(राजस्थान हाईकोर्ट) पेज नम्बर 930, आरआरटी 2024(1)पेज नम्बर 307, आरआरटी 2024(1)पेज नम्बर 207, आरआरटी 2024(1)पेज नम्बर 640, आरआरटी 2023(1)पेज नम्बर 576, आरआरटी 2019(2)पेज नम्बर 1555, आरआरटी 2015(2)पेज नम्बर 967 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये। आवंटन आदेश के बहाल रहने तक उसके आधार पर खोले गये नामान्तकरण को निरस्त करने की कार्यवाही नहीं की जा सकती जिस कारण उपरोक्त अपील पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि विवादग्रस्त आराजी 362 रकवा 134 बीघा 2 विस्वा में से 5 बीघा भूमि का आंवटन, आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 28.06.1971 को भूपसिंह पुत्र सोनपाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम बनैपुरा खालसा को किया गया। रैस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा उक्त आवंटित आराजी का नामान्तरकरण रैस्पोडेण्ट संख्या 2 मेघसिंह पुत्र सोनपाल जाति गुर्जर निवासी गांव बैनपुरा खालसा के नाम स्वीकृत किया गया है। अपीलार्थी ने उपरोक्त अपील सन् 1972 के आदेश के विरूद्व वर्ष 2013 में प्रस्तुत की है जो कि करीब 41 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गयी है जबकि धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत अपील पेश करने की म्याद 30 दिवस है। इन 40 वर्षो से अधिक समय पश्चात उपरोक्त अपील अपीलार्थी द्वारा क्यों प्रस्तुत की गयी तथा अपीलाधीन आदेश के विरूद्व उसके द्वारा इन 40 वर्षों में कोई कार्यवाही क्यों नही की गयी इसका कोई यथोचित कारण अपीलार्थी द्वारा नहीं बताया गया है। जब तक कोई स्पष्ट व प्रभावी कारण नहीं हों तो 40 वर्ष से अधिक विलम्ब को क्षमा नहीं किया जा सकता। अपीलार्थी को उपरोक्त अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार है या नहीं क्योंकि वह किस प्रकार से उपरोक्त नामान्तकरण आदेश से व्यथित है यह उसके द्वारा कहीं भी स्पष्ट नही किया गया है जब तक कोई व्यक्ति किसी आदेश से व्यथित नहीं हो तथा ना ही वह आदेश उसके हकों पर कोई विपरीत प्रभाव डालता हो अर्थात उसके कोई लीगल राइट व टाईटल अपीलाधीन आदेश से प्रभावित होते हों तो वह अपील प्रस्तुत करने का अधिकारी होता है। यहॉ अपीलार्थी के कोई भी लीगल राइट व स्वामित्व विवादित आराजीयात में नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि वह किसी ऐसे आदेश जिसमें उसके हित प्रभावित हो रहे है और वह पक्षकार नहीं है उसकी अपील प्रस्तुत करता है तो उसे न्यायालय से धारा 96 जा.दी. के तहत अनुमति अपील प्रस्तुत करने हेतु लेनी होती है। यहां अपीलार्थी द्वारा न तो कोई अनुमति के लिए प्रार्थना पत्र धारा 96 जा. दी. प्रस्तुत किया गया है तथा ना हीं न्यायालय से अनुमति ली गयी है। उपरोक्त अपील नामान्तकरण के विरूद्व प्रस्तुत की गई है और उपरोक्त नामान्तकरण आवंटन के आधार पर खोला गया है। जब तक उपरोक्त आवंटन किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया जाता तब तक उपरोक्त आवंटन के आधार पर खोले गये

जिला कलक्टर
धौलपुर

नामान्तकरण को निरस्त नहीं किया जा सकता। रेस्पो0. संख्या–2 मेघ सिंह के हक में नामान्तकरण के पश्चात उसके द्वारा दिनांक 30.03.1999 को नामान्तकरण में अंकित विवादित आराजीयात का वयनामा जण्डैल सिंह पुत्र सूबे के हक में कर दिया गया तथा बयनामा के पश्चात राजस्व अभिलेखों में जरिये नामान्तकरण संख्या 566 जण्डैल सिंह का नाम अंकित हो गया जण्डैल सिंह से दिनांक 30.04.2012 को उपरोक्त विवादित आराजीयात का बयनामा रेस्पो0 संख्या 3 लगा0 5 बनै सिंह, रामवरन व रामवीर के हक में कर दिया। इस प्रकार विक्रय पत्रों के वजूद में रहते हुए भी नामान्तकरण निरस्त नहीं किया जा सकता। रेस्पोडेण्ट के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों से हम पूर्णत सहमत है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य पाई जाती है।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 61 दिनांक 14.11.1972 वाके ग्राम बैनपुरा खालसा यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार बाडी को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्रीनिधि बी टी)
जिला कलक्टर
धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)